निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -80/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.)- वा णज्य कर, कच्छा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क.नि.)- वा णज्य कर, कच्छा के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री नि खल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 22.09.2017 से 03.10.2017 तक श्री एन.के. सन्हा लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा (New Unit) सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक. - से - तक - वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह - से - तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः –

(ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (` लाख मे)
2014-15	5513
2015-16	8147
2016-17	10633

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता है।					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

वत्त स चव **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

3. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कर निर्धारता को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.)- वा णज्य कर, कच्छा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तरः-01 कर का न्यूनारोपण `3.60 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा-4(2)(ख)(ii) के अनुसार अनुसूची-III में वनिर्दिष्ट वशेष प्रवर्ग के वस्तु की वक्रय पर करदेयता 20% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) वा णज्य कर, कच्छा के नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री संघम इण्टरप्राइजेज कच्छा, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यौहारी द्वारा `55,42,680/- की गुटखा एवं पान मसाले की बिक्री 13.5% की दर से की गई। पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यौहारी द्वारा गुटखा का आयात कया गया था। तथा व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 में उक्त की बिक्री पर 20% की कर देयता स्वीकार की गई थी। अतः उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 6.5% (20-13.5) से `3,60,275/- का कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा तम्बाकू रहित पान मसाला की बिक्री की जाती है। उत्तर मान्य नहीं था। चूँ क व्यापारी द्वारा गुटखा की बिक्री की जाती थी न क पान-मसाला की।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा प्रतीक्षा में रहेगी।

भाग- 2(अ)

प्रस्तरः- 01 कर का अनारोपण `11.82 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 2(42) के प्रावधानों के अनुसार माल के वक्रेता द्वारा नकद कटौती, कमीशन, व्यापार कटौती के रूप में क्रेता को माल के वक्रय के समय अनुमन्य की गई कोई धनरा श माल के वक्रय कीमत (Sale Price) का भाग नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) वा.क. कच्छा के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया क व्यौहारी सर्व श्री जे.के.सीमेन्ट ल. बरेली रोज कच्छा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में कुल `15,07,52,808/- सीमेन्ट, पुट्टी व वाटर प्रु फंग की बिक्री प्रद र्शत की गई। व्यौहारी द्वारा उक्त बिक्री के वरूद्ध अपने ग्राहकों को बिक्री के बाद `87,58,169/- का संगत वर्ष के दौरान डस्काउन्ट प्रदान करते हुये शुद्ध बिक्री केवल `14,19,94,639/- की स्वीकार्य की गई थी जिस पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा 13.5% की दर से कर आरो पत कया गया था।

चूं क व्यैहारी द्वारा क्रेता व्यौहारियों को उक्त डस्काउन्ट माल के वक्रय के समय अनुमन्य नहीं कया गया था अतः यह अ धनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वक्रय मूल्य का भाग होगा।

इस प्रकार संद र्भत प्रकरण में `87,58,169/- के डस्काउन्ट को वक्रय कीमत में शा मल नहीं कये जाने के कारण 13.5% की दर से `11,82,353/- के कर का अनारोपण हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जानें पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तरः-02 ब्याज की धनरा श वसूल न कया जाना `0.66 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नहीं कया जाता है तो ऐसी धनराशी पर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वा र्षक ब्याज देय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) वा.क. कच्छा की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्नां कत क मयां पायी गईः-

(i) व्यापारी सर्वश्री बांके बिहारी इस्पात प्रा. ल. कच्छा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में रा श `47879/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अ धकारी द्वारा कया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2011 से जमा करने की ति थ तक ब्याज भी आरोपणीय था। व्यापारी द्वारा रा श `47879/- दिनांक 26.09.2016 को जमा कर दिया गया था। कन्तु उक्त ति थ तक नियमानुसार ब्याज की रा श `35810/- व्यापारी द्वारा जमा नहीं कया गया था।

(ii) व्यापारी सर्वश्री संघल एजेन्सीज कच्छा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के ऊपर रा श `53602/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अ धकारी द्वारा कया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2012 से जमा करने की ति थ तक ब्याज भी आरोपणीय था । व्यापारी द्वारा रा श `53602/- चालान सं-17 दिनांक 15.06.2016 को जमा कर दिया गया था कन्तु उक्त ति थ तक नियमानुसार ब्याज की रा श `29794/- व्यापारी द्वारा जमा नहीं कया गया।

इस संबंध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा नियमानुसार ब्याज की वसूली कर लेखापरीक्षा दल को सू चत करने का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 03- अर्थदण्ड का अनारोपण ` 9.09 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(I)(vii)(ख) के अनुसार युक्ति युक्त कारण के बिना यदि देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया जाता है, तो देय कर का कम से कम दस प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.), कच्छा के नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया क व्यौहारी सर्वश्री देवेन्द्रा आयरन स्टोर, कच्छा, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 टिन नं. 05004428269 द्वारा संगत वर्ष में युक्ति युक्त कारण के बिना माह अप्रैल 2013 से माह नवम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 का कुल स्वीकृत कर ` 90,93,624/- वलम्ब से जमा कया गया (सूची संलग्न) जिसके फलस्वरूप अ धनियम की उपरोक्त धारा के अनुसार न्यूनतम दस प्रतिशत की दर से ` 9,09,360/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा नियमानुसार जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -80/**2017-18**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क.नि.)- वा णज्य कर, कच्छा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शवेन्द्र प्रताप संह	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क.नि.)- वा णज्य कर, कच्छा को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र